



द बगि पकिचर: लैंगिक समानता बनाम धार्मिक रविाज़

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

केरल में सबरीमाला मंदिर की सदरियों पुरानी प्रथा (जसिके अनुसार 10 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतर्बिध था) के खलिाफ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा की अध्यक्षता में संवैधानिक खंडपीठ ने पाया है कपिरार्थना का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और यह कानूनों पर नरिभर नहीं है।

- न्यायालय के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर एक नजीी मंदिर जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है। इसलिये लगे एवं शरीर वजिज्ञान (physiology) के आधार पर कसिी के साथ कोई भेदभाव नहीं कयिा जा सकता है।
- यह नरिणय देश में नारीवादी आंदोलन के लयिे मील का पत्थर साबति होगा।

मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में तर्क

1. अनुच्छेद-14 कानून के समकष समानता की गारंटी देता है। ऐसे में इस प्रकार की कोई भी प्राचीन परंपरा संवैधानिक जनादेश के खलिाफ है।
2. इसी प्रकार अनुच्छेद-15 धर्म, मूलवंश, जाति, लगे, जन्म स्थान, या इनमें से कसिी के भी आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतर्बिध अनुच्छेद-15 का हनन करता है। साथ ही, यह अनुच्छेद-25 (1) में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी सीमति करता है।
3. मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का नषिध पूरी तरह से महिलाओं की जैविक संरचना और नारीत्व के आधार पर लयिा गया नरिणय है। यह एक ऐसा नरिणय है जो समाज में महिला को उसके नारीत्व के कारण अपमानजनक स्थिति प्रदान करता है, यह अनुच्छेद-51 A (e) के लक्ष्य का भी त्याग करता है।
4. संवधान के अनुच्छेद-26 (b) के तहत धार्मिक अधिकारियों के प्रबंधकीय अधिकार, मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाकर अनुच्छेद-25 (1) के तहत प्रदत्त व्यक्तगत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलिये धार्मिक अधिकारियों की स्वायत्तता का तर्क समाप्त हो जाता है।
5. अनुच्छेद-25 (2)(b) राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लयिे या हडिओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को हडिओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लयिे खोलने का उपबंध प्रदान करने हेतु सक्षम बनाता है। ऐसे मामले में राज्य द्वारा संवैधानिक नयिमें के प्रवर्तन के लयिे एक उचित कानून बनाया जाना चाहयिे।
6. नश्चिति आयु वर्ग की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतर्बिध अनुच्छेद-17, जो कअस्पृश्यता से संबंधति है, सहति कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
7. लैंगिक असमानता के तर्क के अलावा, व्यक्तगत स्वतंत्रता का वचिार भी यहाँ दौंव पर है। धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के नाम पर कुछ लोगों द्वारा धार्मिक अधिकारों का एकाधिकार, व्यक्तगत स्वतंत्रता के वचिार को दूषति करता है।
8. सामाजिक दृष्टिकोण से कसिी भी कषेत्र में इस तरह की प्रतर्किल प्रथाएँ अनविरय रूप से मानव क्षमता के प्राकृतिक विकास को सीमति कर देंगी।

मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के वरिोध में तर्क

1. धर्म और सामाजिक प्रथाएँ एक-दूसरे से अंतर्संबंधति हैं। इसलिये महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लगे असमानता के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे धार्मिक अभ्यास के रूप में देखा जाना चाहयिे जसिका पालन लोगों द्वारा सदरियों से कयिा जा रहा है। इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों के साथ छेड़छाड़ नहीं कयिा जाना चाहयिे।
2. कुछ धार्मिक प्रथाओं और मथिकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरति कयिा जाता है ताकएक वशिष देवता या भगवान को उनके मूल अवतार में याद कयिा जा सके। इसलिये, इस तरह के वशिवास या प्रथा की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लयिे प्रयास कयिा जाना चाहयिे।
3. कुछ प्रथाएँ और वशिवास ऐसे हैं जनिहें बेहतर फैसले के लयिे धार्मिक नकियायों के लयिे छोड़ा जाना चाहयिे और उनहें पूरण स्वतंत्रता दी जानी चाहयिे कि वे इन्हें कसिे रूप में देखना चाहते हैं।
4. संवधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कप्रत्येक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का मौलिक अधिकार है। नतीजतन, धार्मिक नकियाय अपने अधिकारों के तहत ऐसे नरिदेशों को पारति कर सकते हैं।
5. यह एक कषेत्र वशिष का धार्मिक मुद्दा है और इसे ज़्यादा तूल नहीं दयिा जाना चाहयिे।
6. सबरीमाला मंदिर को एक ऐसे संस्थान के रूप में देखा जाना चाहयिे जहाँ केवल पुरुषों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। जसि प्रकार से बालक और बालकियाओं के अलग-अलग वदियालय हैं।
7. एक अनन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कसिबरीमाला मंदिर के अंदर कोई "ईश्वर" नहीं है, अपति मंदिर के अंदर एक "देवता" है। देवता एक सामाजिक-

सांस्कृतिक ऊर्जा केंद्र के रूप में माना जाता है जबकि दूसरी तरफ "ईश्वर" सार्वभौमिक होता है। अतः देवता एक कानूनी इकाई है और इसलिये इसके अधिकार संवधान के विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित हैं।

- सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश के संबंध में धार्मिक अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाली किसी भी महिला ने अदालत से संपर्क नहीं किया है। यह भी कहा जाता है कि यदि अदालत महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में नयिम बनाती है, तो भी भारतीय महिला धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान करना जारी रखेगी और स्वयं ही सबरीमाला में प्रवेश नहीं करेगी। यह तर्क गलत है। ऐतिहासिक रूप से कानूनी सुधार आमतौर पर सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन से पहले होते हैं। सती या अस्पृश्यता जैसी कई पुरातन प्रथाओं के कानूनी तौर पर उन्मूलन में रातोंरात सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ। कानून अक्सर एक संबंधित सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बल प्रदान करता है।
- मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना न केवल अवैज्ञानिक है बल्कि विशेष रूप से अपमानजनक भी है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से जुड़ा सामाजिक कलंक धार्मिक प्राधिकरण द्वारा आध्यात्मिक प्रतर्बिंधों के बहाने अंतःस्थापित और समेकित है। 21वीं शताब्दी ऐसी प्रतर्गामी प्रवृत्तियों की अनुमति नहीं देती है।
- बहुत बड़े स्तर पर विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक समूहों द्वारा धार्मिक भेदभाव का अभ्यास किया जाता है। कई मंदिरों में दलितों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में वदियों और किसी अन्य धर्म से जुड़े लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस तरह के भेदभाव व्यापक स्तर पर हैं और बिना कानून के डर के खुलेतौर पर प्रचलन में हैं। सबरीमाला मंदिर मामले में एक अनुकूल नरिणय इसी तरह के अन्य मुद्दों के न्यायिक विचन के लिये एक उदाहरण स्थापित करेगा।

(टीम दृष्टि इनपुट)

आगे की राह

- सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में प्रवेश का मुद्दा पुराने मथिकों और मान्यताओं की सहभागिता और ऐसी प्रथाओं के उन्मूलन, जो कि विकासशील समय के साथ सामंजस्यपूर्ण तालमेल नहीं कर पाती हैं, के बीच एक बहस है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे में अंतिम मध्यस्थ है, इसलिये उसे इस मुद्दे को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से संभालना होगा।
- लिंग और शरीर विज्ञान के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव घृणास्पद है और समतावादी समाज में इसका कोई स्थान नहीं है।